न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:— जीतू कुलहरी, आर.ए.एस

अनवान:— राजस्व वाद प्रकरण संख्या 24/2024

(1). आशीष पुत्र श्री गिरधारीलाल उम्र 31 वर्ष जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(2). हितेश सहारण पुत्र श्री गिरधारीलाल उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ....वादीगण

—:: बनाम —::

(1). गिरधारीलाल पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(2). श्रीमती निमेष पत्नी श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(3). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री ऋषिपाल जोशी, एडवोकेट, विजया जोशी एडवोकेट —— वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी एडवोकेट ...प्रति. सं. 1 व 2 की ओर से
3. पैरोकार राज —— प्रतिवादी संख्या 3

—:: निर्णय —::

दिनांक:— 26 जुलाई, 2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 11 एल एल पटवार हल्का ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072—2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/18 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 2(0.253 है.), 8/2(0.085 है.), 9 से 13, 18, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20/1(0.085 है.), 22/1(0.228 है.), 22/2(0.025 है. खाला), 23/1(0.228 है.), 23/2 (0.025 है. खाला) कुल 2.953 है.{2.903 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल पुत्र रामलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है एवं चक 11 एल एल पटवार हल्का ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072—2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 110/116 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 1.607 है. बारानी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.8035 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल पुत्र रामलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 11 एलएल की उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के पिताजी को वादीगण के दादाजी रामलाल पुत्र बीरबलराम के स्वर्गवास होने के बाद विरास्त नामान्तरण संख्या 341 दिनांक 17/02/2006 के द्वारा प्राप्त हुई होने के कारण एवं वादीगण के दादाजी द्वारा विरास्तन कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.10.04 17:47:30 IST
Reason: Self Attested

की आय से खरीद करके वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से लगाई हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है:–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
आशीष पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	चक 11 एल एल पटवार हल्का ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 2.953 है.{2.903 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 2(0.253 है.), 8/2(0.085 है.), 9(0.253 है.), 13(0.253 है.), 18 (0.253 है.), 23/1(0.228 है.), 23/2 (0.025 है. खाला) = 1.350 है. {1.325 है. नहरी + 0.025 है. खाला}
हितेश सहारण पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	चक 11 एल एल पटवार हल्का ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 2.953 है.{2.903 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 1(0.253 है.), 10(0.253 है.), 11(0.253 है.), 12(0.253 है.), 20/1(0.085 है.), 22/1(0.228 है.), 22/2(0.025 है. खाला) = 1.350 है. नहरी {1.325 है. नहरी + 0.025 है. खाला}
आशीष, हितेश सहारण पिसरान श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ब:हिस्सा बराबर बराबर	चक 11 एल एल पटवार हल्का ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 2.953 है.{2.903 है. नहरी +0.050 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 19 की 0.253 है. नहरी कृषि भूमि

उक्त वर्णित कृषि भूमि के वादीगण काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 गिरधारीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादीगण को धमकियां देता रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 05/05/2024 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:30 IST
Reason: SelfAttested

मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माताजी होने के कारण पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादी सं. 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन है, चूंकि पक्षकारान के मध्य बैंक ऋण की राशि को लेकर कोई विवाद नहीं है, इसलिए बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल के नाम दर्ज **चक 11 एल एल पटवार हल्का ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 2.953 है. {2.903 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 2(0.253 है.), 8/2(0.085 है.), 9(0.253 है.), 13(0.253 है.), 18 (0.253 है.), 23/1(0.228 है.), 23/2 (0.025 है. खाला) =1.350 है. {1.325 है. नहरी +0.025 है. खाला} कृषि भूमि** आशीष पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की एवं **किला नम्बर 1(0.253 है), 10(0.253 है.), 11(0.253 है.), 12(0.253 है), 20/1(0.085 है.), 22/1(0.228 है.), 22/2(0.025 है. खाला) = 1.350 है. नहरी {1.325 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि** हितेश सहारण पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की तथा **किला नम्बर 19 की 0.253 है. नहरी कृषि भूमि** आशीष, हितेश सहारण पिसरान श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) बःहिस्सा बराबर बराबर घोषित की जावे।

(ख). उक्त घो णा के अनुसार अलग अलग लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(ग). वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ). अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से जरिये अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो तस्दीक किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ, स्टेट जवाब में अंकित कथनानुसार भूमि विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है, राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जावे।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वाद पत्र में वर्णित भूमि पैतृक होना सिद्ध है जिसके बारे में कोई विरोधाभासी कथन नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकार) [illegible] अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम [illegible] व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।

हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्रों को अपने पिताजी की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत विभाजन करवा सकता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

—::: आदेश ::—

अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल के नाम दर्ज चक 11 एल एल पटवार हल्का ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072—2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 2.953 है.{2.903 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 2(0.253 है.), 8/2(0.085 है.), 9(0.253 है.), 13(0.253 है.), 18 (0.253 है.), 23/1(0.228 है.), 23/2 (0.025 है. खाला) =1.350 है. {1.325 है. नहरी +0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी संख्या 01 आशीष पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जाती है।

किला नम्बर 1(0.253 है), 10(0.253 है.), 11(0.253 है.), 12(0.253 है), 20/1(0.085 है), 22/1(0.228 है.), 22/2(0.025 है. खाला) = 1.350 है. नहरी {1.325 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी संख्या 02 हितेश सहारण पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जाती है।

किला नम्बर 19 की 0.253 है. नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 01 आशीष तथा वादी संख्या 02 हितेश सहारण पिसरान श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ब:हिस्सा बराबर बराबर घोषित की जाती है।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतू स्टाम्प प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त अनुसार अलग अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे उक्त वर्णित भूमि का उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैर मुमकीन) एवं ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26 जुलाई, 2024 को लिख कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:30 IST
Reason: SelfAttested

जीतू कुलहरि
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(Order 20 rule 6-7CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:— जीतू कुलहरी, आर.ए.एस

अनवान:— राजस्व वाद प्रकरण संख्या 24/2024

(1). आशीष पुत्र श्री गिरधारीलाल उम्र 31 वर्ष जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
(2). हितेश सहारण पुत्र श्री गिरधारीलाल उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ....वादीगण

—:: बनाम —::

(1). गिरधारीलाल पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
(2). श्रीमती निमेष पत्नी श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
(3). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)
—— प्रतिवादीगण

दिनांक: 07 अगस्त, 2024

वाद पत्र संख्या 24 /2024
अर्न्तगत धारा 53—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट टैक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता ऋषिपाल जोशी एडवोकेट व विजया जोशी एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता विजय कुमार भाटी एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से उपस्थित पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि:—

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारीलाल** के नाम दर्ज **चक 11 एल एल पटवार हल्का ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072—2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/18** के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 2.953 है.{2.903 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से **किला नम्बर 2(0.253 है.), 8/2(0.085 है.), 9(0.253 है.), 13(0.253 है.), 18(0.253 है.), 23/1(0.228 है.), 23/2 (0.025 है. खाला) =1.350 है. {1.325 है. नहरी +0.025 है. खाला} कृषि भूमि** आशीष पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्[illegible]) घोषित की जाती है एवं **किला नम्बर 1(0.253 है), 10(0.253 है), 11(0.[illegible]3 है), 12(0.253 है), 20/1(0.085 है), 22/1(0.228 है.), 22/2(0.025 है. खाला) =1.350 है. नहरी {1.325 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि** [illegible]रण पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिल[illegible] श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जाती है तथा **किला नम्बर 19 की 0.253 है. नहरी कृषि भूमि आशीष, हितेश सहारण** पिसरान श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तह. व जिला श्रीगंगानगर(राज0) ब:हिस्सा बराबर बराबर घोषित की जाती है।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त अनुसार अलग अलग लगान कायम कर

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक,
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:30 IST
Reason: Self Attested

डिक्री

(Order 20 rule 6-7CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— जीतू कुलहरी, आर.ए.एस

अनवानः— राजस्व वाद प्रकरण संख्या 24 / 2024

(1). आशीष पुत्र श्री गिरधारीलाल उम्र 31 वर्ष जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(2). हितेश सहारण पुत्र श्री गिरधारीलाल उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ....वादीगण

—:: बनाम —::

(1). गिरधारीलाल पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(2). श्रीमती निमेष पत्नी श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(3). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

—— प्रतिवादीगण

दिनांकः 07 अगस्त, 2024

वाद पत्र संख्या 24 /2024
अर्न्तगत धारा 53—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट टैक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता ऋषिपाल जोशी एडवोकेट व विजया जोशी एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता विजय कुमार भाटी एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से उपस्थित पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है किः—

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारीलाल** के नाम दर्ज **चक 11 एल एल पटवार हल्का ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072—2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38 / 18** के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 2.953 है.{2.903 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक **में से किला नम्बर 2(0.253 है.), 8 / 2(0.085 है.), 9(0.253 है.), 13(0.253 है.), 18(0.253 है.), 23 / 1(0.228 है.), 23 / 2 (0.025 है. खाला) =1.350 है. {1.325 है. नहरी +0. 025 है. खाला} कृषि भूमि आशीष** पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) [illegible] की जाती है एवं **किला नम्बर 1(0.253 है), 10(0.253 है.), 11(0.2[illegible] है.), [illegible](0.253 है), 20 / 1(0. 085 है), 22 / 1(0.228 है.), 22 / 2(0.025 है. खाला)** [illegible] **है. नहरी {1.325 है. नहरी + 0.025 है. खाला}** कृषि भूमि हितेश स[illegible] पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जाती है तथा **किला नम्बर 19 की [illegible]53 है. नहरी कृषि भूमि आशीष, हितेश सहारण** पिसरान श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ततारसर तह. व जिला श्रीगंगानगर(राज0) ब:हिस्सा बराबर बराबर घोषित की जाती है।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त अनुसार अलग अलग लगान कायम कर

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक,
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:30 IST
Reason: SelfAttested

नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (प्रथानहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपये ...... शून्य ....वास्ते ... शून्य ....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय पर मय ब्याज ...... शून्य ......दर .....वार्षिक ... शून्य ...... आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

डिक्री आज दिनांक 07 अगस्त, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

जीतू कुलहरी
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

जीतू कुलहरी
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
कार्यालय सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:30 IST
Reason: SelfAttested